

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/टोंक/निविदा/2025/

दिनांक :-

नीलामी सूचना प्रकाशन 02/2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टोंक जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरा में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान आर.एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र, 1000/- रु० का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" (ASSISTANT MINING ENGINEER TONK) के नाम से जारी कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 26 मई 2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सिविल लाईन टोंक से प्राप्त कर सकते है :-

क्रम सं.	बजरी स्टॉक स्थल	खनिज	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक के ग्राम सोहेला में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2383/1 पर ग्राम विकास अधिकारी, सोहेला की सुपुर्दगी में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	1400	70,000	7,00,000
2	जिला टोंक के ग्राम डोडवाडी में खेल मैदान पर ग्राम विकास अधिकारी की सुपुर्दगी में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	725	39,875	3,98,750
3	जिला टोंक के ग्राम मण्डावर में चरागाह भूमि के खसरा संख्या 36 में 375 टन तथा खसरा संख्या 37 में 500 टन चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	875	48,125	4,81,250
4	जिला टोंक की तहसील देवली के ग्राम रामथला विभिन्न स्थानों पर चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	375	20,625	2,06,250
5	जिला व तहसील टोंक की मोटूका चैक पोस्ट पर पड़ी शेष बजरी पड़ी है।	बजरी	400	22,000	2,20,000



6	जिला टोंक की तहसील पीपलू की ग्राम पंचायत नानेर में खसरा संख्या 525/3 सिवाय चक भूमि (बिसलपुर विस्थापित लोगों के हेतु आरक्षित) ग्राम पंचायत सरपंच की सुपुर्दगी में चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी बजरी	बजरी	150	8,250	82,500
7	जिला टोंक की तहसील उनियारा के ग्राम खेड़ली बालाजी चौराहा टोक सवाईमाधोपुर स्टेट हाइवे पर खातेदारी भूमि खसरा नं. 121 पर चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	60	3,300	33,000
8	जिला व तहसील टोंक के ग्राम चिरोंज में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	144	7,920	79,200
9	जिला टोंक की तहसील टोडारायसिंह के ग्राम सेतियावास में खरेडा सेतियास मार्ग पर रास्ते दाहिनी ओर चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	85	4,675	46,750
10	जिला व तहसील टोंक के पक्का बंधा क्षेत्र में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	300	16,500	1,65,000
11	जिला टोंक की तहसील उनियारा के ग्राम रूपवास ककोड़ रोड पर चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	540	29,700	2,97,000
12	जिला टोंक की तहसील पीपलू के ग्राम कैलाशपुरी में सरकारी स्कूल के पास दक्षिण दिशा की ओर चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	350	19,250	1,92,500
13	जिला टोंक की तहसील पीपलू के ग्राम कुरेडी में राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय के खेल मेदान में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	850	46,750	4,67,500
14	जिला टोंक की तहसील उनियारा के ग्राम खेडा हाथीभाटा के राजकीय प्राथमिक विधालय के खेल मेदान खसरा नं. 522/149 पर चिन्हित ढेरी के रूप में	बजरी	60	3,300	33,000
15	जिला व तहसील टोंक के ग्राम अरनियाकेदार के ग्राम सेवा सहकारी समिति में पड़ी चिन्हित ढेरियो के रूप में	बजरी	1019	56,045	5,60,450

16	जिला टोंक के पुलिस थाना दूनी में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक द्वारा जब्त बजरी चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	100	5,500	55,000
17	जिला टोंक के पुलिस चौकी, पौल्याड़ा में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक द्वारा जब्त बजरी चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	70	3,850	38,500

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्टॉक स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 04 पर रखे टेण्डर बॉक्स में 27 मई 2025 (दोपहर 1 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक** जो **सहायक खनि अभियन्ता, टोंक** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-2 स्टॉक स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक तथा बिड फॉर्म** अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित स्टॉक स्थल पर किया जा सकता है।
5. जब्तशुदा बजरी स्टॉक स्थल पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 27 मई 2025 को सायं 03.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 04 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 10 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को वस्तु एवं सेवाकर विभाग के जीएसटी संख्या की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा खनिज रॉयल्टी की डीएमएफटी व आरएसएमईटी तथा कुल मूल्य पर GST/Income Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 01 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
17. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नहीं होगा।
18. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना/ई-रवन्ना (टी.पी.) जैसा भी विभागीय निर्देश होगा जारी किया जावेगा।
19. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथमिकता दी जावेगी।

(सोहन लाल सुथार)
सहायक खनि अभियन्ता, टोंक

क्रमांक:— सखअ/टोंक/नीलामी/2025/

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक।
4. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को नीलामी गार्डलाईन दिनांक 09.07.2019 तथा 05.08.2019 के क्रम में सादर प्रेषित है।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
6. श्रीमान नोडल अधिकारी, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
8. श्रीमान सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक खनि अभियन्ता, टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/टोंक/निविदा/2025/

दिनांक :-

नीलामी सूचना प्रकाशन 02/2025-26

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक के विभिन्न स्थानों पर निम्नानुसार
जब्तशुदा खनिज बजरी के अवैध स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाती है-

क्रम सं.	बजरी स्टॉक स्थल	खनिज	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक के ग्राम सोहेला में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 2383/1 पर ग्राम विकास अधिकारी, सोहेला की सुपुर्दगी में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	1400	70,000	7,00,000
2	जिला टोंक के ग्राम डोडवाडी में खेल मैदान पर ग्राम विकास अधिकारी की सुपुर्दगी में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	725	39,875	3,98,750
3	जिला टोंक के ग्राम मण्डावर में चरागाह भूमि के खसरा संख्या 36 में 375 टन तथा खसरा संख्या 37 में 500 टन चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	875	48,125	4,81,250
4	जिला टोंक की तहसील देवली के ग्राम रामथला विभिन्न स्थानों पर चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	375	20,625	2,06,250
5	जिला व तहसील टोंक की मोटूका चैक पोस्ट पर पड़ी शेष बजरी पड़ी है।	बजरी	400	22,000	2,20,000
6	जिला टोंक की तहसील पीपलू की ग्राम पंचायत नानेर में खसरा संख्या 525/3 सिवाय चक भूमि (बिसलपुर विस्थापित लोगों के हेतु आरक्षित) ग्राम पंचायत सरपंच की सुपुर्दगी में चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी बजरी	बजरी	150	8,250	82,500
7	जिला टोंक की तहसील उनियारा के ग्राम खेड़ली बालाजी चौराहा टोक	बजरी	60	3,300	33,000

	सवाईमाधोपुर स्टेट हाइवे पर खातेदारी भूमि खसरा नं. 121 पर चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।				
8	जिला व तहसील टोंक के ग्राम चिरोंज में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	144	7,920	79,200
9	जिला टोंक की तहसील टोडारायसिंह के ग्राम सेतियावास में खरेडा सेतियास मार्ग पर रास्ते दाहिनी ओर चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	85	4,675	46,750
10	जिला व तहसील टोंक के पक्का बंधा क्षेत्र में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	300	16,500	1,65,000
11	जिला टोंक की तहसील उनियारा के ग्राम रुपवास ककोड़ रोड पर चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	540	29,700	2,97,000
12	जिला टोंक की तहसील पीपलू के ग्राम कैलाशपुरी में सरकारी स्कूल के पास दक्षिण दिशा की ओर चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	350	19,250	1,92,500
13	जिला टोंक की तहसील पीपलू के ग्राम कुरेड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय के खेल मेदान में चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	850	46,750	4,67,500
14	जिला टोंक की तहसील उनियारा के ग्राम खेडा हाथीभाटा के राजकीय प्राथमिक विधालय के खेल मेदान खसरा नं. 522/149 पर चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	60	3,300	33,000
15	जिला व तहसील टोंक के ग्राम अरनियाकेदार के ग्राम सेवा सहकारी समिति में पड़ी चिन्हित ढेरियों के रूप में पड़ी है।	बजरी	1019	56,045	5,60,450
16	जिला टोंक के पुलिस थाना दूनी में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक द्वारा जब्त बजरी चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	100	5,500	55,000
17	जिला टोंक के पुलिस चौकी, पौल्याड़ा में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक द्वारा जब्त बजरी चिन्हित ढेरी के रूप में पड़ी है।	बजरी	70	3,850	38,500

उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रू. 1,000/- का डी.डी./बैंकर्स चेक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 26 मई 2025 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जम्माशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे बिड फॉर्म के साथ दिनांक 27 मई 2025 दोपहर 01.00 बजे तक जमा की जायेगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 27 मई 2025 को सायं 03:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

यूबीएन संख्या

सहायक खनि अभियन्ता,
टोंक